ई–नीलामी सूचना का शुद्धिपत्र
एफई (इंडिया) लिमिटेड (परिसमापन में)
CIN:L74899DL1994PLC061447

एफई (इंडिया) लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत) की वित्तीय परिसंपत्तियों से युक्त आसानी से अवसूली योग्य परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए दिनांक 19.11.2022 को इस अखबार में प्रकाशित ई–नीलामी बिक्री नोटिस के संदर्भ में, मैं, नीलेश शर्मा, परिसमापक एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि एससीसी के परामर्श सहित 4,94,100/– **रुपये की ईएमडी के साथ आरक्षित मूल्य को** 49,41,000/– **रु. से संशोधित कर दिया गया है** और **ई–नीलामी** 05.12.2022 **को सुबह** 10:30 **बजे से शाम** 4:30 **बजे तक** अन्य सभी नियम एवं शर्तें आयोजित यथावत सहित की जाएगी।

ह./–
नीलेश शर्मा, परिसमापक,
(Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00104/2017-18/10232)
एएफए की वैधता: 28.12.2022

दिनांक: 24.11.2022
स्थान: नई दिल्ली

फोन नंबर 9811418701, **पता: सी–10, एलजीएफ, लाजपत नगर III, दिल्ली**–110024
ईमेल आईडी: nilesh.sharma@rrrinsolvency.com, feindialiquidation@gmail.com

---

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल

आर.बी.– IV, 290, स्टेशन रोड, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर–482001

सांकेतिक विज्ञापन, अधिसूचना संख्या–03/2022 एक्ट अप्रेंटिस

पश्चिम मध्य रेल (सभी यूनिटों के लिए) पर वर्ष 2022–23 में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत एक्ट अप्रेंटिसों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चयन हेतु 2521 स्लॉट के लिए अधिसूचना पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट पर जारी की गई है। विवरण निम्नानुसार है:–

ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि	18/11/2022
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एवं समय	17/12/2022 को 23:59 बजे तक

विस्तृत अधिसूचना पश्चिम मध्य रेल की वेबसाईट **www.wcr.indianrailways.gov.in (Path as follows-About us-Recruitment-Railway Recruitment Cell-Engagement of Act Apprentices for 2022-23-Notification No. 03/2022 Act Apprentice)** पर उपलब्ध है। **उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज. पमरे, जबलपुर**

वैक्सीन लगवाएं, जीवन के सफर को सुरक्षित बनायें।

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बंसल लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
शाखा कार्यालय : 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

सार्वजनिक सूचना – अचल संपत्ति के विक्रय हेतु नीलामी

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका अधिग्रहण हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय 28 दिसंबर 2022 (नीलामी तिथि) को ''जैसी है जहां है'' एवं ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी हैं' आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर से देय–भुगतेय बकाया राशियों की वसूली के लिए किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज के डिमांड ड्राफ्ट से युक्त मोहरबंद लिफाफा, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के पास 27 दिसंबर 2022 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा कार्यालय: 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 पर प्रस्तुत/जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि के अनुसार राशि	अधिग्रहण का प्रकार (रचनात्मक/भौतिक के अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि
HHFDELHOU 19000001560	दिलीप पुत्र रामचरण, रीता पत्नी दिलीप	12.07.2021 रु. 18,64,237/– दिनांक 21.11.2022 के अनुसार	भौतिक अधिग्रहण	रु. 16,00,000/– रु. 1,60,000/–
संपत्ति का विवरण: फ्लैट सं. एसएफ 1,एमआईजी, द्वितीय तल छताधिकारों के बिना, बाएं हाथ की ओर, भूखंड सं. डीडी–1/6 के दक्षिणी भाग पर, डीएलएफ अंकुर विहार, ग्राम–लोनी, परगना एवं तहसील लोनी, जनपद–गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 में स्थित है (आवृत्त क्षेत्र माप 425 वर्ग फुट अर्थात् 39.48 वर्ग मीटर) जो जीडीए द्वारा अनुमोदित एवं डीएलएफ द्वारा विकसित कॉलोनी में स्थित है, जो भूखंड इस प्रकार परिसीमित है : उत्तर– उक्त भूखंड का भाग, पूर्व– 18 फुट चौड़ी सड़क (एस.एल.एफ. रोड), दक्षिण– भूखंड सं. डी–2/1, पश्चिम– 12 फुट चौड़ी सड़क।				
HHFDELHOU 19000001613	विनोद पुत्र हरिया, राजवती पत्नी विनोद	12.08.2021 रु. 16,75,704/– दिनांक 23.11.2022 के अनुसार	भौतिक अधिग्रहण	रु. 10,00,000/– रु. 1,00,000/–
संपत्ति का विवरण: आवासीय फ्लैट नं. एस.एफ.–1, द्वितीय तल आगे की ओर, एलआईजी, छताधिकारों के बिना, जो भूखंड सं. सी–11/1, डीएलएफ अंकुर विहार, ग्राम–सदुल्लाबाद, परगना एवं तहसील–लोनी, जनपद–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 (क्षेत्र माप 33.44 वर्ग मीटर) भूखंड सं. सी–11/1 में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित हैं : उत्तर– भूखंड सं. सी–11/2, पूर्व– उक्त भूखंड का शेष भाग, दक्षिण– 30 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम– भूखंड सं. सी–9/9				
HHFDELHOU 19000003706	हेमंत कुमारी सोनी, मधु सोनी, सन्नी सोनी	26.11.2021 रु. 19,74,270/– दिनांक 21.11.2022 के अनुसार	भौतिक अधिग्रहण	रु. 17,00,000/– रु. 1,70,000/–
संपत्ति का विवरण: फ्लैट नं. टी–1, तृतीय तल, एम.आई.जी. आगे बायीं ओर, छताधिकारों के बिना, भूखंड सं. 76 एवं 77, खसरा सं. 588, रोयल गार्डन कॉलोनी, ग्राम–डासना, परगना–डासना, तहसील एवं जनपद–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201013 में स्थित है, जिसका आवृत्त क्षेत्र माप 968 वर्ग फुट अर्थात् 89.92 वर्ग मीटर है जो भूखंड सं. 76 व 77 में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित है: उत्तर– अन्य की संपत्ति, पूर्व– भूखंड सं. 78, दक्षिण– 8 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम– 7 मीटर चौड़ी सड़क				

नियम एवं शर्तें: (1) निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र तथा विक्रय के नियम एवं शर्तें, शाखा कार्यालय: 27, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 पर किसी भी कार्यदिवस पर प्रातः 10.00 से सायं 05.00 बजे के मध्य उपलब्ध होंगे। (2) अचल संपत्ति का आरक्षित मूल्य से कम पर विक्रय नहीं किया जाएगा। (3) बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/– (रुपए दस हजार मात्र) होगी। (4) उपरोक्त संपत्ति के क्रयार्थ जमा/प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों/निविदाओं के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि, ''हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि.'' के पक्ष में आहरित दिल्ली में भुगतानयोग्य, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के उपरांत असफल बोलीदाताओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। (5) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह सदैव बोलीदान हेतु विधिक रूप में अर्हक पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्च बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा है। (6) प्रस्तावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का अवलोकन, पूर्व नियुक्ति के साथ 15 दिसंबर 2022 को 11.00 बजे से लेकर के 2.00 बजे तक किया जा सकता है। (7) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को, तत्काल ऐसी घोषणा के बाद, क्रयराशि/सर्वोच्च बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। (8) यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तो भुगतानयोग्य क्रयराशि की शेष रकम का भुगतान, क्रेता द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को संपत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वां दिवस के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को भुगतान करना होगा। (9) ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भुगतान में चूक होने की स्थिति में, संपत्ति को निजी संधि द्वारा नई नीलामी/विक्रय हेतु रख दिया जाएगा। धराज सहित अन्य जमा राशियों को हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जाएगा। (10) उपरोक्त विक्रय, हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि. के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगा। (11) हीरा हाउसिंग फाइनेंस लि. को ज्ञात किसी भारग्रस्तता के विवरण, जिस हेतु संपत्ति है: अज्ञात हैं। दावे, यदि कोई है, जिन्हें संपत्ति हेतु अग्रसारित किया गया है तथा इसके प्रकृति एवं मूल्य का कोई अन्य ज्ञात विवरण: अज्ञात है। (12) इच्छुक पक्षकारों से अनुरोध है कि वे संवैधानिक एवं अन्य प्रदेयताओं जैसे कि संबंधित विभागों/कार्यालयों के विक्रय/सपत्ति कर, विद्युत बकायों, एवं सोसाइटी बकायों, इत्यादि सहित का सत्यापन/अभिपुष्टि कर लें। कंपनी, संपत्ति पर बकाया किसी देयक राशि के भुगतान का कोई भी उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करती। (13) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा 1: टीडीएस, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाएगा। भुगतान, सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा कंपनी के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है तथा चालान की प्रति कंपनी के पास जमा करनी होगी। (14) विक्रय, पूर्णतः इस विज्ञापन तथा निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन है। (15) सफल बोलीदाता/क्रेता को विधि–व्यवस्था के अनुरूप प्रयोज्यानुसार विक्रय प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने हेतु प्रभारित समस्त स्टांप शुल्कों, पंजीकरण शुल्कों एवं आकस्मिक व्ययों का भुगतान वहन करना होगा। (16) प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण बताए बिना बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा निविदा को हटाने/स्थगित/निरस्त करने और कोई भी पूर्व सूचना दिए बिना इस विक्रय के किसी नियम एवं शर्त को बदलने का भी पूर्णाधिकार है। (17) इच्छुक बोलीदातागण श्री राज मिश्रा को मोबाइल नं. 9971808985 पर कार्यालय समय (प्रातः 10.00 से सायं 6.00 बजे) के दौरान संपर्क कर सकते हैं अथवा संपत्ति का खाता सं./उधारकर्ता का नाम वर्णित करते हुये assetdisposal@herohfl.com पर मेल कर सकते हैं।

ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता हेतु 30 दिवसीय विक्रय सूचना

उपरोक्त संवर्णित ऋणकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरगणें को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि का तिथि के अनुसार नियत ब्याज एवं व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की वसूली आपसे ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात् www.herohousingfinance.com पर उपलब्ध लिंक https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice का संदर्भ ग्रहण करें।

कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी
श्री लक्ष्य चुतानी, मोबाइल–9878829899
ईमेल : assetdisposal@herohfl.com

दिनांक : 24.11.2022
स्थान : दिल्ली

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक **09 जून 2022** को संदर्भ संख्या SME/SAR/13-2/JUNE-22/04 **ऋण खाता संख्या:** 2121244634647791 निर्गमित की जिसमें मांग करते हुए ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता **मैसर्स शेर सिंह नवीन कुमार एण्ड कम्पनी जरिये प्रोपराइटर श्री नवीन कुमार (ऋणी), श्री नवीन कुमार पुत्र श्री शेर सिंह सैनी (जमानतदार), श्रीमती कविता पत्नि नवीन कुमार (जमानतदार/बंधककर्ता)** को नोटिस में वर्णित के लिए **रूपये 1,23,81,953.25/-(एक करोड तेइस लाख इक्यासी हजार नौ सौ तरेपन व पच्चीस पैसे मात्र)** **दिनांक 04 जून 2022** तक कुल देय (जिसमे शामिल मूलधन, ब्याज, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क) सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता एवं समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित उक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **19 नवम्बर 2022** को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/सह ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार में के लिए **रूपये 1,32,80,820.25/- (एक करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार आठ सौ बीस व पच्चीस पैसा मात्र) दिनांक 18 नवम्बर 2022** तक सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी अभिन्न अंग सम्पत्ति स्थित भूतल पर निर्मित बिना छत अधिकार (फ्लोर), सम्पत्ति बियरिंग नं. ए-169 पर निर्मित, ब्लॉक ए **क्षेत्रफल 180.00 वर्ग गज**, खसरा नं. 6/2 के बाहर, स्थित ग्राम भरोला कॉलोनी जो मजलिस पार्क के नाम से जाना जाता है, दिल्ली-110033 जो की **श्रीमती कविता पत्नि श्री नवीन कुमार** के स्वामित्व मे है।

पूर्व : सम्पत्ति नं. ए-168
पश्चिम : सम्पत्ति नं. ए-170
उत्तर : रोड 25 फीट
दक्षिण : लेन 10 फीट

दिनांक: 19 नवम्बर, 2022
स्थान : मजलिस पार्क, दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

परिसंपत्ति का ऑनलाइन ई–नीलामी विक्रय
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र पिन कोड–400 051, **शाखा कार्यालय:** 7वां तल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर–125, एमिटी यूनिवर्सिटी के समीप, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदातता के पास बंधककृत/प्रभारित रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका अधिग्रहण कोटक महिंद्रा बैंक लि. (केएमबीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एसेल फाइनेंस बिजनेस लोन लिमिटेड द्वारा अपने पक्ष में ऋण के एसाइनमेंट के अनुसार, 09.11.2022 को, कर लिया गया है, उसे अब 28.12.2022 को दोपहर 12:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेचा जाएगा। यह विक्रय जो होगा वह मैसर्स साई कंस्ट्रक्शन, अपने प्राधिकृत साझीदार श्री तुलसी राम, श्रीमती लज्जावती, सुश्री प्रियंका एवं श्री तुलसी राम के माध्यम से, की ओर से केएमबीएल, प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय, ऋण खाता संख्या LNDEL00615-160000154, के तहत दिनांक 21.11.2022 के अनुसार रु. 45,52,521/– (रुपए पैंतालिस लाख बावन हजार पांच सौ इक्कीस मात्र) की एक राशि और इस राशि पर वसूलीकरण होने तक लागूयोग्य भावी ब्याज की वसूली करने के लिए किया जाएगा। संपत्ति सं. 1 हेतु आरक्षित मूल्य रु. 10,83,300/– (रुपए दस लाख तिरासी हजार तीन सौ मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रु. 1,08,300/– (रुपए एक लाख आठ हजार तीन सौ मात्र) होगी। संपत्ति सं. 2 हेतु आरक्षित मूल्य रु. 9,19,000/– (रुपये नौ लाख उन्नीस हजार मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रु. 91,900/– (रुपये इक्यानबे हजार नौ सौ मात्र) होगी। संपत्ति सं. 3 हेतु आरक्षित मूल्य रु. 7,87,000/– (रुपये सात लाख सत्तासी हजार मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रु. 78,700/– (रुपये अट्ठहत्तर हजार सात सौ मात्र) होगी। संपत्ति सं. 4 हेतु आरक्षित मूल्य रु. 6,52,000/– (रुपये छह लाख बावन हजार मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रु. 65,200/– (रुपये पैंसठ हजार दो सौ मात्र) होगी। संपत्ति सं. 5 हेतु आरक्षित मूल्य रु. 13,28,000/– (रुपये तेरह लाख अट्ठाईस हजार मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रु. 1,32,800/– (रुपये एक लाख बत्तीस हजार आठ सौ मात्र) होगी तथा केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 27–12–2022 को सायं 6:00 बजे (आईएसटी) तक होगी।

संपत्ति विवरण:– संपत्ति सं. 1 : भूखंड माप 83 वर्ग गज : खसरा सं. 32/4 मिन., गली सं. 10, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुर में समाविष्ट, ग्राम–डुंडेहेड़ा, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद में स्थित है। संपत्ति सं. 2 : भूखंड माप 56 वर्ग गज : खसरा सं. 32/3 मिन., गली सं. 08, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुर में समाविष्ट, ग्राम–डुंडेहेड़ा, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद में स्थित है। संपत्ति सं. 3 : भूखंड माप 50 वर्ग गज : खसरा सं. 31/3 मिन., गली सं. 11, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुर में समाविष्ट, ग्राम–डुंडेहेड़ा, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद में स्थित है। संपत्ति सं. 4 : भूखंड माप 50 वर्ग गज : खसरा सं. 31/3 मिन., गली सं. 10, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुर में समाविष्ट, ग्राम–डुंडेहेड़ा, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद में स्थित है। संपत्ति सं. 5 : माप 50 वर्ग गज : मकान सं.113, खसरा सं. 31/3 मिन., गली सं. 10, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुर में समाविष्ट, ग्राम–डुंडेहेड़ा, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद में स्थित है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया सूचना प्राप्त करें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता श्री अक्षित सोलंकी को (+91 7302111608), श्री सोमेश सुंद्रियाल (+91 9910563402), श्री सुमित सिन्हा (+91 9810616493), श्री प्रशांत गौतम (+91 9643615436) और श्री राजेंद्र दहिया (+91 8448264515) से संपर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.kotak.com** तथा/अथवा **https://bankauctions.in/** पर उपलब्ध लिंक **https://www.kotak.com/en/ bank-auctions.html** देखें।

स्थान : गाजियाबाद, दिनांक : 24.11.2022
प्राधिकृत अधिकारी : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांक––वी.15 (32) पीएस/ सामग्री / एमआईयू / 22–23/10341 दिनांक: 15.11.22

ई–बोली आमंत्रण सूचना

विभिन्न वस्तुओं के प्रदाय (supply) हेतु ई–बोली (e-Bid) आमंत्रित की जाती है। बोली दस्तावेजों को दिनांक 23.11.2022 को समय 11.00 बजे से वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड प्रारम्भ किया जा सकेगा। ई–बोली दिनांक 13.12.2022 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उक्त वेबसाईट पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

ई–बिड की क्वालिफाईड बिड दिनांक 13.12.2022 को समय 03.00 पी. एम पर खोली जानी प्रस्तावित है।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प. 6 (5) वित्त / सा. वि.ले. नि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी एक ही चालान से ऑनलाईन ई ग्रॉस सिस्टम के माध्यम से या नगद, बैंकर चैक या डीडी के माध्यम से जमा करवाये जा सकते है एवं अनुसूचित बैक में विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी के माध्यम से भी जमा करा सकते है। (RTPP Rule 42 (6)) वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तों एवं तत्सम्बंधी अन्य विवरण को वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट http://www.police.rajastahan.gov.in अथवा सरकार के राज्य लोक उपापन Procurement पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित कीमत	बोली प्रतिभूति (रूपयों में)	सप्लाई अवधि (दिनों में)
1	Mobile Investigation Unit	71	20235000	404700	120 days

UBN No. POL2223GLOB00035

हस्त/-
(पीयूष दीक्षित)
पुलिस अधीक्षक,
केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर
Mail ID-sp.cstore.pmw@rajpolice.gov.in
Tel. No. 0141-2744289

DIPR/C/14749/2022

कब्जा सूचना

DCB BANK

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरी तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना जारी की जिसमें कॉलम नं. 3 में वर्णित कर्जदारों /सह–कर्जदारों को उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनो के भीतर राषि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है।

कर्जदार एवं सह–कर्जदार कॉलम नं. 6 में वर्णित राषि का भुगतान करने में असफल रहे है इसलिए एतद्द्वारा उन्हें एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमन के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कॉलम नं. 4 में निम्न वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	लोन खाता	कर्जदारों/सह–कर्जदार	मांग नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि
1.	**DRHLMOR00491741**	श्री मोनू कश्यप एवं कमलेश	13–06–2022	21–11–2022

मागी गई राशि : रु. 11,00,949.16/– (ग्यारह लाख नौ सौ उनचास रुपये और सोलह पैसे मात्र)

प्रतिभूति संपत्तियों का विवरण: वेक मौजा ढाका, वार्ड नंबर 13, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश –244001 में स्थित खसरा नं. 221 के हिस्से पर घर।

विषेषकर कर्जदारों एवं आम जनता को सावधान किया जाता है कि उपरोक्त कथित सम्पत्ति के साथ लेनदेन न करें और उपरोक्त कथित सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन उसमें उल्लिखित राशि और उस पर अतिरिक्त ब्याज एवं लागत डीबीसी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांक: 24.11.2022
स्थान: मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी

फोन नं. 05322467671, फैक्स नं. 05322466414

ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद,
वित्त मंत्रालय, सरकार भारत
147–ए–58/1, जवाहर लाल नेहरू रोड, टैगोर टाउन, इलाहाबाद

सदभ. स.
दिनांक: 12.10.2022

(बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 20, यथा संशोधित अद्यतन उप–नियम 26(8) के साथ पठित/वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 यथासंशोधित अद्यतन की धारा 18 के तहत प्रकाशन के माध्यम से पार्टियों को सम्मन)

डायरी सं.156 ऑफ़ 2020
टी.ए.संख्या– 351 ऑफ़ 2018
(वर्ष 2013 का पुराना मूल आवेदन क्रमांक 65)
(ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून)
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड, ... अपीलकर्ता
बनाम
विष्णु प्रमोटर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य .... प्रतिवादी/प्रतिवादी

सेवा में,
7. श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नी श्री सतीश चंद अग्रवाल,
निवासी : 26, वसंत विहार एन्क्लेव, मंदिर लेन, देहरादून उत्तराखंड

...प्रतिवादी संख्या 7

कृपया ध्यान दें कि अपीलकर्ता ने टी.ए.संख्या– 351 ऑफ़ 2018 (2013 की पुरानी मूल आवेदन संख्या 65) (ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून)) ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून द्वारा जम्मू और कश्मीर बैंक बनाम मेसर्स विष्णु प्रमोटर्स प्रा. लिमिटेड और अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.10.2019 के विरुद्ध अपील दायर की है। उपर्युक्त अपील को 23.12.2022 को सुबह 11:00 बजे अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थिति और आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आप व्यक्तिगत रूप से या इस प्रयोजन के लिए आपके द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त कानूनी व्यवसायी के माध्यम से इस अपील अधिकरण में उपस्थित हो सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि निर्धारित तिथि पर आपकी उपस्थिति में चूक होने पर, अपील पर एकपक्षीय सुनवाई की जाएगी।

रजिस्ट्रार,
ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद

कैन फिन होम्स लिमिटेड

59–60, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 E-mail: faridabad@canfinhomes.com
मोबाइल– 7625079140 CIN : L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना (देखें नियम 8 (1))

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **01.09.2022** जारी कर ऋणधारको **श्रीमती शिवांगी एवं श्री रविश रायज़ादा** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 23,01,796/–** तथा वसूली की तिथि 01.09.2022 तक अनुबंधित दरों पर ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज **19/11/2022** को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित–अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे **23,01,796/–** तथा उस पर ब्याज की राशि के लिए सीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति के वह सभी भाग और पार्सल यहां स्थित हैं:
प्लॉट नंबर 4305, जीएफ–05, रियर मिडल साइड, टी.पी स्कीम –3, सेक्टर–49, सैनिक कॉलोनी, फरीदाबाद की संपत्ति का वह सब हिस्सा और पार्सल
उत्तर: प्लॉट नं.4304/फ्लैट नं. जी–एफ–04
दक्षिण: 23 फुट रोड / फ्लैट नं. जी.एफ–06
पूर्व : अन्य संपत्ति
पश्चिम : 23 फीट चौड़ी सड़क / फ्लैट नं. जी.एफ–02

दिनांक: 19.11.2022
स्थान : फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लि.

दक्षिण रेलवे
जीइएम सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से मंडलीय रेलवे प्रबंधक (यांत्रिक), दक्षिण रेलवे, मदुरै–625016 द्वारा शासकीय ई–मार्किटिंग प्लेस (जीईएम) पोर्टल में दी गयी निविदा सूचना के अनुसार निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रतिष्ठित ठेकेदारों से दो लिफाफा प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। मदुरै मंडल में कार्यों हेतु आवेदन करने के लिये निविदाकर्ता(ओं)/ठेकेदार(रों) को जीईएम पोर्टल में नामांकित होने की आवश्यकता है तथा केवल ऑनलाइन निविदायें स्वीकार्य होंगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	तीन वर्षों की अवधि हेतु आरएमएम डिपो में परिणाम आधारित यांत्रिकीकृत कोच की सफाई तथा प्राथमिक अनुरक्षण/द्वितीयक अनुरक्षण वाली ट्रेनों की वाटरिंग, पीएफटीआर ट्रेनों की सफाई और वाटरिंग, डिपो परिसरों की सफाई तथा कूड़ा–करकट का निपटान।			
1	जीईएम बोली नं.	कार्य का स्थान	कार्य का मूल्य (रु.)	धराज (रु.)	निविदा समापन तिथि
	जीईएम/2022/बी/2763468 दिनांकित : 22.11.2022	रामेश्वरम डिपो (आरएमएम)	3,91,59,128/– (18% की दर पर जीएसटी सहित)	3,45,800	13.12.2022 को 14.00 बजे

टिप्पणी : यह उत्तरदायित्व निविदाकर्ताओं का है कि वे वेबसाइट पर इस सूचना के बाद अपलोड होनेवाली किसी शुद्धि, समापन अथवा संशोधनों के लिये निर्गत किसी भी शुद्धिपत्र की जांच–पड़ताल करते रहें तथा निविदा अपलोडिंग के दौरान उसे ही ध्यान में रखा जाना चाहिये। अन्य विवरणों के लिये कृपया वेबसाइट **"http://www.gem.gov.in"** देखें।

मंडलीय रेलवे प्रबंधक (यांत्रिक), दक्षिण रेलवे, मदुरै

Follow us on: twitter.com/GMSRailway

इण्डियन ओवरसीज बैंक
प्रशांत विहार शाखा
ए–1/14, सेक्टर–14, प्रशांत विहार, दिल्ली–110085
ईमेल आईडी : iob1542@iob.in दूरभाष : 011–27565657 एवं 011–27553876

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत

1. जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सरफॉएसि अधिनियम के तहत इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना निर्गत की है, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध ऋणकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों (यहां इसमें इसके उपरांत ''उक्त ऋणकर्ताओं'' के रूप में संदर्भित) को सूचना में अंकित धनराशियों का, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

2. उक्त सूचनाएं डाकीय प्राधिकारियों द्वारा अप्रदायकृत रूप में वापस कर दी गयी हैं/ऋणकर्ताओं/गारंटरों द्वारा विधिवत रूप से अभिस्वीकृति नहीं की गई हैं। इसलिए बैंक अत्यधिक सावधानी बरतते हुए मांग सूचना के इस प्रकाशन को प्रकाशित कर रहा है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त ऋणकर्ताओं/गारंटरों के अंतिम ज्ञात पतों के परिसरों पर इन सूचनाओं को चिपकाने का निर्णय लिया है। उक्त सूचनाओं की प्रतियां, अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और उक्त ऋणकर्ता/गारंटर, यदि वे चाहें तो किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता से उक्त प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, उक्त ऋणकर्ताओं/गारंटरों को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे इण्डियन ओवरसीज बैंक को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहां नीचे ऋण एवं अन्य प्रलेखों के अंतर्गत उल्लेखित/भुग्तेय अनुसार राशि का भुगतान करें। ऋण के देय प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को संबंधित पक्षकारों द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास निम्नानुसार दृष्टिबंधककृत किया गया है।

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों के नाम एवं पते	31.10.2022 के अनुसार कुल बकाया* कुल देयराशि* (रु. में)	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि
1.	खुशी फुटवियर (साझीदार फर्म– साझीदारगण : 1. श्री रमेश कुमार 2. श्री अवधेश कुमार झा 3. श्री राजेश कुमार झा कारखाना का पता : भूतल, भूखंड सं. 360, खसरा सं. 154/360, ग्राम–पूठ खुर्द, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110039 व्यवसाय का प्रमुख स्थल:– खसरा सं. 154/371, विस्तारित लाल डोरा की आबादी, ग्राम पूठ खुर्द, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली दिल्ली–110039	रु. 79,16,305.10/– (रुपये उन्यासी लाख सोलह हजार तीन सौ पांच एवं दस पैसे मात्र) दिनांक 31.08.2022 के अनुसार	भण्डारों एवं बही ऋणों जैसी वर्तमान एवं भावी संपूर्ण परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन अवस्थिति :– कारखाना पता: भूतल, भूखंड सं. 360, खसरा सं. 154/360, ग्राम–पूठ खुर्द, उत्तर पश्चिमी दिल्ली,दिल्ली–110039 व्यवसाय का प्रमुख स्थल : खसरा सं. 154/371, विस्तारित लाल डोरा की आबादी, ग्राम पूठ खुर्द, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली दिल्ली–110039	01.11.2022
2.	श्री रमेश कुमार सी–156, ब्लॉक–सी, सेक्टर–1, रोहणी, अवंतिका, उत्तर पश्चिमी दिल्ली–110085 अन्य संचार पता : ई–11, भूतल, सेक्टर–1, रोहिणी, अवंतिका, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110085			
3.	श्री अवधेश कुमार झा ई–11, भूतल, सेक्टर–1, रोहिणी, अवंतिका, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110085			
4.	श्री राजेश कुमार झा वर्तमान पता: 13420 बौहौसबेंद, प्लूजर विले, टीएक्स–78660 (यूएसए) भारतीय आवासीय पता:– सी–156, ब्लॉक–सी, सेक्टर–1, रोहणी, अवंतिका, उत्तर पश्चिमी दिल्ली–110085			

*उपरोक्त अंकित तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों/शेषों पर भावी ब्याज के साथ भुगतानयोग्य।

4. यदि उक्त ऋणकर्ता/गारंटर इण्डियन ओवरसीज बैंक को उपर्युक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहते हैं तो इण्डियन ओवरसीज बैंक सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) तथा नियमावली के तहत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त ऋणकर्ताओं/बंधककर्ताओं/गारंटरों के जोखिमों, लागतों और परिणामों पर कार्रवाई करेगा।

5. इसके अतिरिक्त, ऋणकर्ताओं/गारंटरों का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उनके पास उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

6. उक्त ऋणकर्ताओं/गारंटरों को सरफॉएसि अधिनियम के तहत इण्डियन ओवरसीज बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, वह अधिनियम की धारा 29 के तहत कारावास और/या अर्थ दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक : 23.11.2022
स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
इण्डियन ओवरसीज बैंक

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that Share Certificate No. 20680 for 100 equity shares bearing distinctive Nos.3394341 TO 3394440 (both inclusive) comprised in Folio No. 17175 of Bharat Rasayan Limited having its Registered Office at 1501 Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi 110008 registered in the name of Mr. BALWINDER SINGH have been lost. I have now applied to the Company for issue of duplicate share certificates in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificates in lieu of said original share certificate, is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrar and Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice.

NAME & ADDRESS OF THE LEGAL HEIRS
MR. BALWINDER SINGH S/O MR. PRITAM SINGH
DHURKOT, LUDHIANA 141109 PUNJAB

COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Rasveen Kaur JMIC-19, Jalandhar

Food Coast International
Vs
Durga Enterprises

CNR NO: PBJL03-024175-2019
Next date: 03-01-2023
NACT/5623/2019

Publication Issued To: Durga Enterprises And Durgesh Rajendra Singh Both Are R/o Through Its Proprietor/ Partner Durgesh Rajendra Singh C/o H. No 721, Nerul Village Sector 22 Back To Balayi Mandir, Maharashtra 400706

In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 03-01-2023 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Jalandhar

JMIC-19 Jalandhar

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी – फरीदाबाद
एससीओ–98, प्रथम एवं द्वितीय तल, सेक्टर–16 मार्किट,
फरीदाबाद, हरियाणा–121002, खाता सं.: 65051554706

अधिग्रहण सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 3) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 04.08.2022 निर्गत की थी, जिसमें ऋणधारक श्रीमती कृष्णा शर्मा, श्रीमती नीरा शर्मा तथा प्रमोद शर्मा, मकान सं. 115, गर्ग कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद–121004 तथा निम्नलिखित ऋणधारक/सह–ऋणधारक/गारंटरों : (1) श्री प्रवीण शर्मा (गारंटर) पुत्र श्री रवि शंकर, मकान सं. 120, गर्ग कॉलोनी, बल्लभगढ़–121004, (2) श्रीमती कृष्णा शर्मा, श्रीमती नीरा शर्मा तथा श्री प्रमोद शर्मा, मकान सं. 120, गर्ग कॉलोनी, बल्लभगढ़–121004, फरीदाबाद–121004 (यहां इसमें इसके उपरांत ऋणधारक तथा गारंटरगण सामूहिक रूप में ''ऋणधारकों'' के रूप में संदर्भित) को सूचना में अंकित राशि रु. 10,08,901.00 (रु. दस लाख आठ हजार नौ सौ एक मात्र) + 04.08.2022 से प्रभावी संविदात्मक दर पर भावी ब्याज और उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि **ऋणधारकगण खाता सं. 65051554706** द्वारा निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्वारा ऋणधारकों तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरिणत संपत्ति का प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 17 नवंबर 2022 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणधारक/गारंटर को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 10,08,901.00 (रु. दस लाख आठ हजार नौ सौ एक मात्र) + 04.08.2022 से प्रभावी संविदात्मक दर पर भावी ब्याज और उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि हेतु भारतीय स्टेट बैंक के प्रभाराधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के हाल ही में संशोधित प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशनें व निविदा आमंत्रित करने द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विक्रयार्थ सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ बकाया संपूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान में रखें कि यदि आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशनें व निविदा आमंत्रित करने द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विक्रयार्थ सूचना के प्रकाशन से पूर्व बैंक द्वारा उपगत समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ बकाया संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आप प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को छुड़वाने के अधिकारी नहीं हो सकते।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो संपत्ति भूखंड भूमि माप 235 वर्ग गज पर हैं जो भूखंड सं. 14 एवं भूखंड सं. 15–ए के भाग की संरचना करते हैं जो खेवट/खतौनी सं. 600/698 रेक्ट/खसरा सं. 81 किला सं. 4(7–13) से युक्त, मौजा बल्लभगढ़ जनपद फरीदाबाद (नया पता : मकान सं. एफसीए 115, गर्ग कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद) में स्थित हैं।

दिनांक : 24.11.2022
स्थान : फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
(भारतीय स्टेट बैंक) आरएसीपीसी–कम–एसएआरसी

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S. PERPETUAL CAPITAL AND SERVICING PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	M/S. PERPETUAL CAPITAL AND SERVICING PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	24/12/2007
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	REGISTRAR OF COMPANIES, MUMBAI
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U67190MH2007PTC177055
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	83, ARCADIA, NARIMAN POINT, MUMBAI - 400 021.
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	Order dated: 07-11-2022 Received on: 14-11-2022
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	06-05-2023
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Vijay P. Lulla IBBI/IPA-001/IP-P00323/ 2017-18/10593
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	201, Satchitanand Bldg., 12th Road, Opp. Ram Mandir, Khar (West), Mumbai - 400 052. vijayplulla@rediffmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	203B, Arcadia Building, 2nd floor, Nariman Point, Mumbai – 400 021 or 201, Satchitanand Bldg., 12th Road, Opp. Ram Mandir, Khar (West), Mumbai - 400 052. perpetualcapital.cirp@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	28-11-2022
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es) Not Applicable – As per Information available with IRP
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	**Not Applicable**
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Weblink:http://www.ibbi.gov.in/downloadform.html Physical Address: Same as address mentioned in Item No. 10

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **M/S. PERPETUAL CAPITAL AND SERVICING PRIVATE LIMITED** on 07-11-2022 received on 14-11-2022.

The creditors of **M/S. PERPETUAL CAPITAL AND SERVICING PRIVATE LIMITED**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **28-11-2022** to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against Entry No.13 to act as authorized representative of the class [None] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 16-11-2022
Place: Mumbai

Name and Signature of Interim Resolution Professional
Vijay P. Lulla
IBBI/IPA-001/IP-P00323/ 2017-18/10593

HDFC BANK
We understand your world

लीगल सेल, प्लॉट# 31, नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, टावर-ए, 1ला तल, शिवाजी मार्ग, मोतीनगर नई दिल्ली-110015

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV
[नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया था।

विवरण इस प्रकार है:

ग्राहक का नाम	सम्पत्ति का विवरण	
1. मै. ऑप्टिमय कॉन्ट्रैक्ट्स प्राईवेट लि. द्वारा उसके निदेशको: श्री अमित गौर 2. श्री अमित गौर, पुत्र श्री मूलचन्द गौर 3. श्री विनीत गौर, पुत्र श्री मूलचन्द गौर	सेक्टर-12 आवासीय कॉलोनी, वसुन्धरा तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित मकान सं. 12/191(एरिया माप 200.70 वर्ग मी.) **चौहदी इस प्रकार है:** उत्तरः प्लॉट नं.192, दक्षिणः रोड, पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 190	13(2) **सूचना तिथि:** 06. 09. 2022 **सूचना की राशि:** रु. 1,82,27,470/- **कब्जा की तिथि:** 22.11.2022 **स्थान:** गाजियाबाद, उ.प्र.
1. प्रभात मेटल्स एंड एकॉयज प्रा. लि. द्वारा उसके निदेशकों- श्री मनजीत सिंह एवं श्री पलविन्दर सिंह 2. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री शार्दूल सिंह 3. पलविन्दर सिंह पुत्र श्री शार्दूल सिंह	शॉप नं. एफएफ-5, प्रथम तल (माप 544 वर्ग फीट लगभग, खसरा नं. 38/25/2/2 तथा 41/5/2 में कामर्शियल कॉम्प्लेंक्स सेक्टर-20-बी, फरीदाबाद (सम्पत्ति के स्वामी श्री पलविन्दर सिंह) चौहदी: उत्तरः पार्किंग एवं नीलम फ्लावर, पूर्वः ऑफिस नं. एफएफ-4, दक्षिणः ऑफिस नं. एफएफ-6 एवं प्रवेश, पश्चिमः खुला	13 (2) **सूचना तिथि:** 05.09.2022 **सूचना की राशि:** रु. 21,65,448/- **कब्जा की तिथि:** 22. 11. 2022 **स्थान:** फरीदाबाद
1. श्री सरबजीत सिंह, पुत्र श्री त्रलोचल सिंह 2. मै. रोददक, द्वारा उसके पार्टनर श्री सरबजीत सिंह तथा श्रीमती दूलेर कौर 3. श्रीमती दलेर कौर, पत्नी श्री त्रलोचन सिंह	संम्पत्ति सं. 103, ब्लॉक सी, आनंद निकेतन सीएचवीएस लि., आनंद निकेतन, नई दिल्ली की आबादी में स्थित, कुल भूमिमाप 385 वर्ग यार्डस, चौहदी इस प्रकार है। **उत्तरः रोड नं.10, दक्षिणः प्लॉट नं. सी-104, पूर्वः सर्विस लेन, पश्चिमः रोड नं.11**	13 (2) **सूचना तिथि:** 16. 08. 2022 **सूचना की राशि:** रु. 54,73,471/- **कब्जा की तिथि:** 21. 11. 2022 **स्थान:** दिल्ली

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है उसमें वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर सूचना में वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के साथ वसूली यदि कोई की गई हो, को घटाकर खर्चे तथा चार्जेज आदि के लिये एचडीएफसी बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

तिथि: 24.11.2022

प्राधिकृत अधिकारी,
एचडीएफसी बैंक लि.

Chola
Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः पहली मंजिल, 'डेयर हाउस', नंबर 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई–600001
शाखा कार्यालय : पहली और दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13[2] के तहत मांग नोटिस

आप, नीचे उल्लिखित ऋणीध्बंधककर्ता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आपके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है और यह कि अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस आपको पंजीकृत डाक ए–सीके द्वारा भेजा गया है। यह उधारकर्ताध्ओं को प्रदान किए बिना सुपुर्दगी लौटा दी गई है। इसलिए, आपको एतद्वारा नोटिस लेने और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनो के भीतर उक्त खाते के सापेक्ष उल्लिखित बकाया ऋण राशि के साथ ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर कंपनी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ब्याज और लागत के साथ अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित प्रतिभूति को लागू करके आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह नोटिस कंपनी के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपको प्रेषित किया गया है।

ऋणी/यों का नाम और पता	ऋण राशि	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि	संपत्ति का विवरण/ प्रतिभूति संपत्ति
ऋण खाता संख्या XOHEEDL00001411414 और XOHEEDL00001728906 उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता:– **1. पन्ना लाल,** पताः एच.नंबर–एफ–11, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, ब्लॉक–एफ, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110016, **2. नीरू वर्मा / नीरू वर्मा** पताः एच.नंबर– एफ–11, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, ब्लॉक एफ, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110016 **3. चंदन कुमार पन्ना लाल वर्माः** मकान नंबर– एफ–11, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, ब्लॉक–एफ, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110016 इसके अलावाः 1033/14 गौ मीरा चाँद , मौवारा चांदनी चौक, नई दिल्ली, नई दिल्ली –110006 **4. पारस वर्मा, निवासी** :एच.सं.– एफ–11, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, ब्लॉक एफ, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110016	रु 1,28,91,392/– (रुपए एक करोड़ अट्ठाईस लाख इक्क्यानबे हजार तीन सौ बानबे मात्र)	09.11.2022 31–10–2022 के अनुसार रु.1,49,18,860/– (एक करोड़ उनचास लाख अठारह हजार आठ सौ साठ रुपये मात्र)	ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति संख्याः एफ – 11 की 200 वर्ग गज की संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल (छत के अधिकार के साथ पूरी दूसरी मंजिल) पर और उसके ऊपर के पूरे छत के अधिकार, जो निम्नानुसार परिबद्ध हैं: पूर्व– सड़क, पश्चिम–लेन, उत्तर प्लॉट नं. एफ–10, दक्षिण : प्लॉट नं., एफ–12

दिनांक : 24.11.2022, स्थान : दिल्ली/एनसीआर
अधिकृत अधिकारी,चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

www.readwhere.com